

प्रवेश अर्हताएँ एवं नियम

महाविद्यालय परिसर में छात्राओं को मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।
यह महाविद्यालय धूम्रपान तथा तम्बाकू मुक्त क्षेत्र है।

(B.A., B.Com., B.Sc., B.B.A., B.C.A., M.A., M.Sc., M.Com.)

10+2 योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक/इन्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार उत्तीर्ण विद्यार्थी बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम./बी.बी.ए./बी.सी.ए. कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के योग्य है।

निर्धारित मानदण्ड

- | | | |
|-----|---|--|
| (अ) | अर्हक परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी | अखिल भारतीय आधार पर |
| (ब) | अर्हक परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त | राजस्थान का मूल निवासी होने के आधार पर |
| (स) | अर्हक परीक्षा में 48 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी | जोधपुर की सीमा में आने वाले |

विशेष : चूंकि यह महाविद्यालय, महिला अध्ययन केन्द्र है इसलिये प्रवेश अर्हताओं में छूट का प्रावधान है।

स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता

- | | |
|---------------|---|
| (1) बी.ए. | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 45 प्रतिशत |
| (2) बी.कॉम | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 45 प्रतिशत |
| (3) बी.एस.सी. | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 48 प्रतिशत |
| (4) बी.बी.ए. | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत |
| (5) बी.सी.ए. | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 48 प्रतिशत |

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता

- | | |
|---------------|---|
| (1) एम.ए. | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 45 प्रतिशत |
| (2) एम.कॉम | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 45 प्रतिशत |
| (3) एम.एस.सी. | – अर्हक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 48 प्रतिशत |

विशेष टिप्पणी : अर्हक परीक्षा से तात्पर्य उन अभ्यर्थियों से है, जिन्होंने साधारणतया उच्च माध्यमिक परीक्षा कला, विज्ञान, वाणिज्य से उत्तीर्ण की हो, उन्हें बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम./बी.सी.ए./बी.बी.ए. में प्रवेश दिया जा सकेगा।

टिप्पणी :

- (1) प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों उपलब्ध स्थानों आदि की समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही वरीयता क्रमानुसार दिया जायेगा।
- (2) पूरक परीक्षा के मामले में अभ्यर्थी की वरीयता का निर्धारण पूरक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक (सैद्धांतिक व व्यवहारिक को मिलाकर) के आधार पर होगा न कि उसके द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर।
- (3) स्नातक स्तर के किसी भी संकाय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के किसी भी अभ्यर्थी को स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

असफल अभ्यर्थियों का प्रवेश

स्वीकृत स्थानों का 5 प्रतिशत संस्थान के असफल अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, जो निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत आते हैं

- (1) ऐसा अभ्यर्थी जो बिना उचित/गंभीर कारण बताये परीक्षा में नहीं बैठा हो उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
- (2) जो अभ्यर्थी सभी वैकल्पिक/मूल विषयों में अनुत्तीर्ण रहा हो उसे उसी संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
- (3) जो अभ्यर्थी पिछले दो वर्षों से लगातार असफल हो रहा हो उसे उसी संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
- (4) जो अभ्यर्थी एक वर्ष अनुत्तीर्ण और उसके अगले वर्ष किसी भी कारण से परीक्षा में नहीं बैठा हो तो उसे भी दो वर्ष तक लगातार अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

वरीयता निर्धारण व अन्य नियम

अभ्यर्थियों को अपने आवेदन-पत्र में अपने ऐच्छिक विषयों के चयन के सम्बन्ध में क्रमिक वरीयता का उल्लेख करना होगा। प्रवेश का आधार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक तथा उसके साथ जोड़े गये वे महत्त्व मूल्यांक होंगे जो नियमानुसार स्वीकृत हैं। इस प्रकार प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के नामों की सूचियाँ सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी। अभ्यर्थियों की वरीयता सूचियों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों तथा प्रवेश के लिए जोड़े गए महत्त्व मूल्यांक का स्पष्ट उल्लेख होगा।

प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची विलम्ब शुल्क सहित आवेदन-पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि के बाद यथाशीघ्र घोषित कर दी जायेगी। अपनी निर्धारित फीस जमा करा देनी होगी। सूची प्रकाशन से पूर्व आवश्यकतानुसार काउंसलिंग की जा सकेगी।

ध्यान रहे कि फीस निर्धारित समयावधि में ही जमा करा दी जाए। अन्यथा अभ्यर्थियों की प्रवेश सम्बन्धी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा।

निर्धारित समयावधि में शुल्क जमा न करने वाले विद्यार्थियों के आवेदन-पत्रों पर, प्रतीक्षा सूची के सभी विद्यार्थियों पर विचार हो जाने के बाद ही, पुनर्विचार किया जायेगा, बशर्ते कि सीटें उपलब्ध हों।

प्रवेशार्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र महाविद्यालय में ही जमा करावें। आधे-अधूरे भरे हुए आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विषय परिवर्तन

ऐसा कोई प्रवेशार्थी जिसे प्रवेश प्राप्त हो गया हो और जो किसी विषय या विषयों को एक ही संकाय के अन्तर्गत त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स प्रथम वर्ष में बदलना चाहता हो तो उसके लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि अभ्यर्थी को अन्यथा पात्रता प्राप्त हो। इच्छुक प्रवेशार्थी 25 जुलाई 2012 तक प्रार्थना पत्र के साथ 50/- फीस जमा कराकर विषय परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

विद्यार्थियों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या

सभी विषय-समूह की कक्षाओं में कम-से-कम दस विद्यार्थियों के होने पर ही उस वैकल्पिक विषय का अध्ययन कराया जाएगा। इसी प्रकार एम.कॉम, एम.ए. एवं एम.एस.सी. में कम-से-कम विद्यार्थियों के होने पर ही उस विषय की कक्षा प्रारम्भ हो सकेगी।

अभिभावकों के स्थानान्तरण होने पर प्रवेश शर्तें एवं तिथियाँ

- (1) अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने अभिभावक के स्थानान्तरण होने पर इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो, उनकी पूर्व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की उपस्थिति इस महाविद्यालय की उपस्थिति में सम्मिलित की जा सकेगी।
- (2) ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2012 होगी।
- (3) ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वायत्तशासी संस्थान के कर्मचारी हैं, के जोधपुर स्थानान्तरण होने पर तथा जोधपुर में कार्यभार सम्भालने के 15 दिन के अन्दर आवेदन करते हैं तो उनके प्रवेश आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे, बशर्ते कि उनके गत परीक्षा में प्राप्तांक आखिरी प्रविष्ट विद्यार्थी से कम नहीं हों। जिन छात्रों के अभिभावक जोधपुर स्थानान्तरण होकर आये हों वे निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर प्रवेश ले सकते हैं।
 - (अ) उन्होंने जोधपुर से बाहर प्रवेश लिया हुआ हो।
 - (ब) इसके बाद उनके अभिभावक का स्थानान्तरण जोधपुर हुआ हो तथा उन्होंने प्रवर्जन पर इस विश्वविद्यालय में आवेदन किया हो।
 - (स) ऐसे छात्रों को अनुच्छेद (c) के अनुसार 30 नवम्बर 2012 तक स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
 - (द) सभी प्रवेश-शर्तें पूरी करने तथा स्थान होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।उपर्युक्त नियम पूरक परीक्षा, पुनर्मूल्यांकन एवं अनुचित साधन उपयोग के मामलों पर लागू नहीं होंगे।

पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा अनुचित साधन उपयोग के मामलों के लिए प्रवेश शर्तें एवं तिथियाँ

- (1) परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वाले विद्यार्थियों को दोषमुक्त किये जाने के बाद और पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षाफल निकलने के 10 दिन के अन्दर प्रवेश ले लेना होगा।
- (2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंकों की जाँच में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षाफल निकलने के 10 दिन के अन्दर प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, खाली जगह होने पर योग्यता के आधार पर ही प्रवेश के लिए उनके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

(3) यदि प्रवेशार्थी पूरक परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो तथा उसके अंक अन्तिम प्रविष्ट छात्र के समकक्ष या अधिक हो तो ही उसे प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे प्रवेश की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2012 होगी।

रियायतें एवं आरक्षण

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ;सम्पन्न श्रेणी में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छोड़करद्ध के अभ्यर्थियों के लिए ;सभी तरह के प्रवेश के लिए जहाँ कोई विशेष प्रावधान न होद्ध क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सभी संकायों में न्यूनतम योग्यता में 5 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी। यदि फिर भी इन वर्गों के अभ्यर्थियों का स्थान रिक्त रहता है, तो उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक तक रियायत दी जा सकती है। यह प्रावधान, जहाँ प्रवेश हेतु कोई विशेष नियम नहीं है, उसके लिए लागू होगा।

(2) (अ) सभी तरह के प्रवेशों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। जहाँ यह संख्या एक से भी कम हो वहाँ भी न्यूनतम एक स्थान आरक्षित रहेगा।

(ब) विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश की सभी योग्यताओं में 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जायेगा परन्तु यह रियायत अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने के लिए ही देय होगी, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

उपर्युक्त (अ) व (ब) का लाभ अभ्यर्थी को तभी दिया जायेगा जब वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या समकक्ष प्राधिकृत अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(3) कश्मीरी विस्थापितों के लिए 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

टिप्पणी :

(1) विकलांगों एवं कश्मीरी विस्थापितों का आरक्षण सामान्य वर्गों सहित सभी आरक्षित वर्गों में दण्डवत् होगा।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित स्थान ऐसे किसी अभ्यर्थी से नहीं भरे जायेंगे जो इन वर्गों के लिए निर्धारित वरीयता सूची में अपनी अभ्यर्थिता रखता हो। यदि उपर्युक्त वर्गों के अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरीयता के आधार पर सामान्य श्रेणी के स्थानों में प्रवेश हेतु अपनी वरीयता रखते हों, तो उनके प्रवेश की गिनती आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में नहीं की जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी को इस तरह परिभाषित किया गया है –

जो राजस्थान में रह रहा हो और जिसके माता/पिता पिछले दस वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहे हो। उन्हें इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्राप्त मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

या

जो पिछले तीन वर्षों से लगातार राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित अभ्यर्थी के रूप में अपने को अध्ययनरत किये हुए हो।

या

राजस्थान सरकार, सरकारी उपक्रम, निगम या नगरपालिका मण्डल, पंचायत समिति या राजस्थान के विश्वविद्यालयों या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सम्ब(महाविद्यालयों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री हों।

या

केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक/भारत सरकार के अधीन उपक्रम, निगम या रेलवे में सेवारत स्थायी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री हों। इस संबंध में उनके अभिभावक या संरक्षक का राजस्थान राज्य में नियुक्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

या

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से उत्तीर्ण की हो।

या

ऐसे पुत्र/पुत्री जिनके अभिभावक व्यवसाय या नौकरी करते हैं तथा राजस्थान में आबाद हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

खेलकूद/सह शैक्षणिक/शिक्षणेतर उपलब्धियों का लाभ

उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत दो वर्षों में प्राप्त की हो एवं निर्विदान मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो और जो उचित सत्यापन के पश्चात् सही प्रमाणित हो।

1	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
2	द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
3	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
4	विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
5	राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
6	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के
7	सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल की सदस्यता अथवा एकल	प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि

8	प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान	
9	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेल-कूद में स्कूल का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तरमहाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

उपर्युक्त अंक-लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ ही प्रवेशाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।
वर्ग

(1) अ ब स : भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित सम्बन्धित

विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद्, राज्य क्रीड़ा परिषद् ।

(2) द : विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् ।

(3) य : राज्य क्रीड़ा परिषद् ।

(4) र, ल : उपनिदेशक स्तर के अधिकारी / विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् / निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति

हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त ।

(5) व, स : आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेल-कूद ही मान्य होंगे :

- (1) एथलेटिक्स (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो) (3) बैडमिंटन (4) बास्केट बॉल (5) शतरंज (6) क्रिकेट (7) सार्किल चलाना (8) फुटबाल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो-खो (12) टेबल-टेनिस (13) टेनिस (14) वालीबॉल (15) हैन्ड बॉल (16) कुश्ती (17) भारोत्तोलन (18) जिम्नास्टिक (19) जूडो (20) मुक्केबाजी (21) साफ्टबॉल (22) मल्लखम्भ (23) योगासन (24) बॉल बैडमिंटन (25) पावर लिफ्टिंग एण्ड बेस्ट फिजिक (26) स्कवेश रैकेट

एनसीसी

	उपलब्धि	लाभ
(अ)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ब)	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(स)	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु
1.	गणतंत्र दिवस कैम्प	अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि
2.	अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प	
3.	पैरा जम्पिंग कोर्स	
4.	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान में (20,000 फीट या उच्च पर्वत शिखर) भाग ।	
5.	छात्र/छात्रा विंग में भी सर्टिफिकेट/जी-2 सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति ।	
6.	जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए-पार्ट-2/जे पार्ट-2 प्रमाण-पत्र प्राप्ति ।	
7.	स्नो-स्काइंग कोर्स	
8.	सीनियर अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति ।	

टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस कैम्प की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वालों को पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाईविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स करने वाले को, सी सर्टिफिकेट और जी-2 सर्टिफिकेट ए-ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा ।

(n) निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा विशिष्टता अर्जित करने पर प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में 2 प्रतिशत की वृद्धि

1. आल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैंप
2. छात्र/छात्रा विंग का सी/जी पार्ट-2 सी ग्रेड के साथ
3. ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशीप कोर्स
4. कम-से-कम तीन सप्ताह का अटेचमेण्ट कोर्स
5. वाटर स्काइंग कोर्स
6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए-पार्ट/जे पार्ट कोर्स
7. अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति

1.3 पर्वतारोहण

	उपलब्धि	लाभ
	<p>मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुँच । सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स</p>	<p>न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांकमें 3 प्रतिशत की वृद्धि</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि</p>
1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना :		
	<p>अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्कृत स्वयंसेवक युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/ राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में भाग लिया हो तथा 2 विशेष शिविरों में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का सेवाकार्य राज्य स्तर पर शिविर में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में सम्मिलित एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य एक विशेष शिविर में सम्मिलित तथा 240 घण्टे का सेवा-कार्य</p>	<p>न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 4 प्रतिशत की वृद्धि</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि</p>
1.5 रोवर स्काउट गार्ड :		
	<p>राष्ट्रपति रोवर्स कार्यक्रम में भाग लिया है अथवा विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा अखिल भारतीय भारत स्काउट गार्ड मुख्यालय</p>	<p>न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश</p>

	<p>द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अवधि में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय स्काउट/गाईड/रोवर/ रेंजर पुरस्कार प्राप्त राज्य स्काउट/गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्वकर्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो या निपुण पुरस्कार प्राप्त गत दो वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीट में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोहण अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्सकर्ता अथवा प्रवीण पुरस्कार</p>	<p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि</p>
<p>1.6 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ :</p>		
	<p>भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी. सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी</p>	<p>न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की वृद्धि</p> <p>प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 3 प्रतिशत की वृद्धि</p>

	राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व	
टिप्पणी :		
उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।		
	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/ विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था सम्भाग का प्रतिनिधित्व/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि
1.7 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ		
	उपलब्धि	लाभ
	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री। अथवा प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा महिला अभ्यर्थी ;केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतुद्ध यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि ;एम.बी.ए., विधि, कम्प्यूटर व अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा। द्ध

	<p>में उपलब्ध न हो। अथवा विश्वविद्यालय/निदेशालय कॉलेज शिक्षा के अधीन महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।</p>	
<p>टिप्पणी :</p> <ol style="list-style-type: none"> नियम 1.1 से 1.7 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है। उपर्युक्त लाभ हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा। जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.7 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि ;जो भी अधिकतम होद्ध का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो। उक्त उपलब्धियाँ एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार का लाभ देय होगा। उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ इस आशय का पृथक् से आवेदन पत्र देना होगा। इसके अभाव में यह लाभ देय नहीं होगा। 		
<p>टिप्पणी : क्रीड़ा/खेल के आधार पर प्रवेश कुल स्थानों के 2 प्रतिशत पर ही दिया जायेगा।</p>		
<p>माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग दण्डनीय अपराध है।</p> <p>यदि रैगिंग का कोई प्रकरण महाविद्यालय प्रशासन की नजर में आयेगा तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा। उसके पश्चात् यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो महाविद्यालय प्रशासन छात्र/छात्रा को संस्था से निष्कासित कर देगा तथा विद्यार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी करेगा। महाविद्यालय में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार रैगिंग विरोधी समिति गठित की गई है। छात्राएँ अपनी समस्या को लेकर प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य से सम्पर्क कर सकती है।</p>		